

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू-अर्जन निदेशालय
अधिघोषणा


पटना, दिनांक-

संख्या डी० एल० ऐ० प० चम्पा० चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-सौराहा, परगाना-भझौवा, थाना-बगहा, जिला प० चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात्- ग्राम-सौराहा में सम्पर्क पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपयुक्त प्रयोजनार्थ पूर्वावत् ग्राम-सौराहा न० ९५ के भीतर कमोवेश ० बीघा २ कढ़ा १८ धुर जो मानक माप से ०.०४८६० एकड़. के बराबर होता है एक भू-खण्ड अपेक्षित है, जिसका अंश खेसरा संख्या- ३५५, ३५४, ३४६, ३६८, ३५३ एवं ३५२ है, तथा इस भू खण्ड की छौहर्दी निम्न प्रकार है:-


- उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- ३५२, ३५४ एवं ३४६।
- दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- ३५८, ३५३ एवं ३५२।
- पूरब :- अंश खेसरा संख्या- ३४६, ३५२।
- पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या- ३५५ एवं ३५८।

यह घोषणा भू-अर्जन अधिनियम १-१८९४ की धारा ६ एवं भू-अर्जन संशोधित अधिनियम १९८४ के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में दख्ता जा सकता है।



बिहार राज्यपाल के आदेश स



सरकार के अधीन सचिव

ज्ञापाक - २४४५/इ०डी०एल०ए० प० चम्पा०, पटना, दिनांक : १२/१२/२०१३
प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक सामचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को जिला गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त १० प्रतियों जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अधीन सचिव